रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 751] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2003/श्रावण 30, 1925
No. 751] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2003/SRAVANA 30, 1925

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 21 अगस्त, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (केन्द्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण) विनियम, 2003

का.आ. 954(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 19 और धारा 30 के साथ पठित धारा 11 और 11क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

अध्याय I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण) विनियम, 2003 कहा जायेगा ।

(2) ये विनियम ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये :

परंतु यह कि इन विनियमों के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न-भिन्न प्रकारों की प्रतिभूतियों या निर्गमों के लागू होने में भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ।

(3) ये विनियम प्रतिभूतियों के समस्त वर्गों के निर्गम पर लागू होंगे जो सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं ।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) 'अधिनियम' से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 अभिप्रेत है;

(ख) 'आवेदक' से कोई कंपनी या अन्य निगमित निकाय, पारस्परिक निधि या सामूहिक विनिधान स्कीम, स्वयं इसके द्वारा या मर्चेंट बैंककार के माध्यम से कार्य करने वाले, जो सूचीबद्धता के पूर्व पत्र के लिए प्राधिकरण को आवेदन करने का प्रस्ताव करता है अभिप्रेत है ;

(ग) 'प्राधिकरण' से इन विनियमों के विनियम 3 के अधीन स्थापित केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(घ) 'बोर्ड' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' से व्यक्ति, जिसमें सदस्य सम्मिलित है, बोर्ड के पूर्व

अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार नियुक्त अभिप्रेत है ;

(च) 'एक्सचेंज' से स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जिसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन मान्यता प्रदान की गयी है ;

(छ) 'सूचीबद्धता के पूर्व पत्र' से विनियम 12 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र अभिप्रेत है, आवेदक को किसी एक्सचेंज में सूचीबद्धता आवेदन करने की अनुज्ञा देते हुए, जिसमें पुनर्सूचीबद्धता और पहले ही से सूचीबद्ध प्रतिभूति की सूचीबद्धता के लिए, एक्सचेंज जहां यह वर्तमान में सूचीबद्ध है से भिन्न एक्सचेंज में, सम्मिलित है ;

(ज) 'सूचीबद्धता करार' से वह करार अभिप्रेत है जो एक्सचेंज और आवेदक के बीच किया जाता है जिसके अधीन संबद्ध एक्सचेंज में प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध होती हैं और का व्यौहार किया जाता है ;

(झ) 'सूचीबद्धता आवेदन' से आवेदक द्वारा किया गया आवेदन अभिप्रेत है, लागू विधियों के अधीन, एक्सचेंज को इसकी प्रतिभूतियों के लिए एक्सचेंज में सूचीबद्ध और व्यौहार किए जाने की अनुज्ञा के लिए ;

स्पष्टीकरण : कोई पूर्व 'सैद्धाँतिक' अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए अथवा ऐसे आवेदन पर एक्सचेंज की टिप्पणियाँ या संप्रेक्षण अभिप्राप्त करने के लिए किसी एक्सचेंज को आवेदन इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए सूचीबद्धता आवेदन नहीं

समझा जायेगा ।

(ञ) 'सूचीबद्धता शर्तों' से कंपनी या अन्य निगमित निकाय, पारस्परिक निधि या सामूहिक विनिधान स्कीम द्वारा एक्सचेंज में इसकी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने के प्रयोजन के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें अभिप्रेत हैं ; और

(ट) 'प्रतिभूतियों' के अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) के अधीन इसके लिए नियत होंगे ।

(2)

(क) इन विनियमों में उपयोग किए गए और अपरिभाषित शब्दों और पदों के अर्थ, यदि कोई हों, अधिनियम के अधीन उनके लिए क्रमश: नियत होंगे ।

(ख) या तो इन विनियमों में या अधिनियम में उपयोग किए गए और अपरिभाषित शब्दों और पदों, के अर्थ, यदि कोई हों, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या किसी कानूनी उपांतरण या उसकी पुन:अधिनियमिति के अधीन उनके लिए क्रमश: नियत होंगे ।

(ग) या तो इन विनियमों में या अधिनियम में या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में उपयोग किए गए और अपरिभाषित शब्दों और पदों के अर्थ, यदि कोई हों, कंपनी अधिनियम, 1956, या किसी कानूनी उपांतरण या उसकी पुन:अधिनियमिति के अधीन उनके लिए क्रमश: नियत होंगे ।

अध्याय II

केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण

केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण की स्थापना

3. (1) ऐसी तारीख से जो इस संबंध में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, "केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण" के नाम से पुकारा जाने वाला प्राधिकरण स्थापित किया जायेगा और ऐसी तारीख से, बोर्ड इसके कृत्यों और शक्तियों को प्रत्यायोजित किया हुआ समझा जायेगा, जो इसमें विनिर्दिष्ट हैं, प्राधिकरण को ।

(2) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित होगा :

परंतु यह कि प्राधिकरण, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे शाखा या प्रादेशिक कार्यालय स्थापित कर सकेगा जो आवश्यक हों ।

प्राधिकरण की संरचना

4. (1) प्राधिकरण, किसी समय,

(क) अध्यक्ष ;

(ख) उपाध्यक्ष ; और,

(ग) नौ से अनधिक अन्य सदस्यों

से समाविष्ट ग्यारह से अनधिक सदस्यों से संरचित होगा ।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा निदर्शित सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट

तकनीकी और वृत्तिक योग्यता, और जो न्यायपालिका, विधिक व्यवसाय, शैक्षणिक, विनिधानकर्ता (निवेशक) संघों, एक्सचेंजों से आहृत हो, के विशिष्ट व्यक्तियों और प्रतिभूति बाजार या वित्त में विशेषज्ञों में से की जायेगी ;

परंतु यह कि कम से कम तीन सदस्य एक्सचेंजों के प्रतिनिधि होंगे ।

(3) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकरण का पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा ।

(5) सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु यह कि सदस्य, सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह पहले ही से दो अवधियों के लिए सेवा कर चुका हो ।

(6) सदस्यों, जिनमें अध्यक्ष सम्मिलित है, के पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ऐसे होंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जायें :

परंतु यह कि सदस्य जो एक्सचेंजों के प्रतिनिधि हैं प्राधिकरण से कोई पारिश्रमिक आहृत नहीं करेंगे ।

(7) अध्यक्ष, उसके हस्ताक्षर से बोर्ड को संबोधित

लिखित सूचना द्वारा, उसके पद से त्यागपत्र दे सकेगा और उपाध्यक्ष या सदस्य, उसके हस्ताक्षर से अध्यक्ष को संबोधित लिखित सूचना द्वारा, उसके पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(8) बोर्ड, उचित कारण से, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को हटा सकेगा :

परंतु यह कि किसी सदस्य, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सम्मिलित है, को पद से हटाया नहीं जायेगा जब तक कि ऐसे हटाये जाने के कारण उसको संसूचित नहीं किये जाते और बोर्ड द्वारा सुनवाई का अवसर उपलब्ध न किया गया हो :

परंतु यह और कि इस उप-विनियम के अधीन हटाया गया कोई सदस्य, पद हानि के लिए कोई प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

सचिवालय

5. (1) प्राधिकरण में इसके कृत्यों के निर्वहन में इसे सहायता करने के लिए सचिवालय हो सकेगा।

(2) बोर्ड, यदि प्राधिकरण द्वारा अनुरोध किया गया हो, प्राधिकरण को परिसर, अवसंरचना और सुख-सुविधाएँ उपलब्ध करा या उपलब्ध करवा सकेगा, इसके कृत्यों और उत्तरदायित्वों के अनुरूप ।

(3) प्राधिकरण, बोर्ड के परामर्श से, प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगा जो ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो

प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें ।

(4) प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों और स्टाफ की नियुक्ति, ऐसे पारिश्रमिक और निबंधनों पर कर सकेगा, जैसा यह इन विनियमों के अधीन इसके कृत्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक माने ।

(5) उपर्युक्त के होते हुए भी, प्राधिकरण बोर्ड से, समय-समय पर, सचिवालय में पर्याप्त संख्या में कार्मिक को प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा ।

(6) प्राधिकरण, इन विनियमों के अधीन इसके कृत्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में इसे सहायता देने वाली बाह्य वृत्तिक सेवाओं को मुकर्रर कर सकेगा, और इनका भुगतान कर सकेगा ।

प्राधिकरण की बैठकें

6. (1) प्राधिकरण समय-समय पर कामकाज निबटाने के लिए बैठक कर सकेगा, इसकी बैठकों को स्थगित, पुन:नियत और अन्यथा विनियमित कर सकेगा, जैसा यह ठीक समझे।

(2) अध्यक्ष, या तो स्वेच्छा से या सदस्य द्वारा अनुरोध पर, प्राधिकरण की बैठक बुला सकेगा ।

(3) अध्यक्ष, और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और किसी बैठक में उन दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उनमें से एक को नियुक्त करेंगे ।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी पदेन सदस्य-

सचिव होने के नाते बैठकों के संबंध में समस्त प्रशासनिक कृत्यों के लिए जिम्मेदार होगा ।

(5) प्राधिकरण की बैठकें इसके कार्यालय में आयोजित की जायेंगी, परंतु यह कि प्राधिकरण किसी अन्य स्थान पर बैठक कर सकेगा और सदस्यों के एक स्थान में वस्तुत: उपस्थित हुए बिना ही बैठक संचालित कर सकेगा, ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ।

(6) प्राधिकरण की किसी बैठक के लिए कोरम चार सदस्यों का होगा :

परंतु तथपि, यह कि बैठक में सूचीबद्धता के पूर्व पत्र के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए, सदस्य जो एक्सचेंजों के प्रतिनिधि हैं कोरम के प्रयोजन के लिए माने नहीं जायेंगे ।

(7) बने रहने वाले सदस्य प्राधिकरण में किन्हीं रिक्तियों के होते हुए भी कार्य कर सकेंगे :

परंतु यह कि यदि सदस्यों की संख्या प्राधिकरण की बैठक के लिए इन विनियमों द्वारा निश्चित कोरम से कम हो जाती है, तो बने रहने वाले सदस्य या सदस्य कार्य कर सकेंगे और वे कोरम पूरा करेंगे ।

(8) प्राधिकरण की किसी बैठक में उठने वाले प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत और ऐसी बैठक में मतदान द्वारा किया जायेगा ।

परंतु यह कि मत बराबर होने के मामले में,

अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति, के पास निर्णायक मत होगा ।

(9) प्राधिकरण के विनिश्चय परिचालन द्वारा भी लिए जा सकेंगे, परंतु संकल्प प्रारूप रूप में परिचालित किया गया हो, आवश्यक कागजपत्रों के साथ, यदि कोई हों, सभी सदस्यों को पहले ही से ।

(10) प्राधिकरण इसके कृत्यों और शक्तियों में से कोई ऐसे सदस्यों से गठित किसी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगा जैसा यह अवधारित करे ।

(11) इस प्रकार गठित कोई समिति इस प्रकार प्रत्यायोजित इसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए या इसके कृत्यों का पालन करते हुए, ऐसी प्रक्रियाओं या शर्तों का अनुसरण करेगी जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें ।

(12) समिति की किसी बैठक में उठने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किए जायेंगे और मत बराबर होने के मामले में, मामला प्राधिकरण को इसके विचार और उस पर विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जायेगा ।

(13) कोई पूर्व कार्यवाहियाँ, या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश, पर प्रश्न नहीं किया जायेगा या प्राधिकरण के गठन में केवल किसी रिक्ति या दोष के विद्यमान होने के आधारों पर अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा ।

निधि

7. (1) बोर्ड केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण साधारण निधि के नाम से पुकारी जाने वाली निधि गठित करेगा और उसमें :

(क) विनियम 10 के उप-विनियम (4) के अधीन बोर्ड द्वारा उद्गृहीत और प्राप्त कोई आवेदन फीस ; और

(ख) कोई अन्य राशि जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाये

जमा करेगा ।

(2) उपर्युक्त निधि का प्रबंध प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और का उपयोजन :

(क) पारिश्रमिक, यदि कोई हो, प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का ;

(ख) इन विनियमों के अधीन इसके कृत्यों के निर्वहन और शक्तियों के प्रयोग के लिए प्राधिकरण के व्यय (चाहे पूंजीगत या राजस्व प्रकार के हों) जिनमें प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारियों और स्टाफ को संदेय वेतन और भत्ते सम्मिलित हैं ; और,

(ग) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त बाह्य वृत्तिकों, एजेंसियों, परामर्शियों और/या सलाहकारों और/या सलाहकार समितियों को वृत्तिक फीस

को पूरा करने के लिए किया जायेगा ।

अध्याय III

प्राधिकरण के कृत्य और सूचीबद्धता के पूर्व पत्र

प्राधिकरण के कृत्य

8. (1) प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा :

(क) आवेदकों से सूचीबद्धता के पूर्व पत्र के लिए आवेदनों को प्राप्त करना और की प्रक्रिया करना और, यदि यह ठीक समझे, किसी ऐसे आवेदक को सूचीबद्धता के पूर्व पत्र जारी करना ;

(ख) प्रतिभूतियों में विनिधानकर्ताओं के हित के संरक्षण और प्रतिभूति बाजार के विकास और विनियमन से संबंधित विषयों पर बोर्ड को सिफारिशें करना, जिनमें सूचीबद्धता करार, सूचीबद्धता शर्तें और प्रस्ताव दस्तावेजों में किए जाने वाले प्रकटीकरण सम्मिलित हैं ; और,

(ग) किन्हीं अन्य कृत्यों का जिम्मा लेना जो इसको बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जायें ।

सूचीबद्धता के पूर्व पत्र

9. (1) कोई आवेदक, जब तक कि इसने प्राधिकरण से सूचीबद्धता के पूर्व पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो, :

(क) प्रतिभूतियों का निर्गम नहीं करेगा जो एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित है, और/या

(ख) किसी एक्सचेंज को इसकी प्रतिभूतियों की

सूचीबद्धता के लिए सूचीबद्धता आवेदन नहीं करेगा ।

(2) कोई आवेदक प्रतिभूतियों के किसी वर्ग का निर्गम नहीं करेगा जब तक कि इसने एक्सचेंज(जों) से सैद्धांतिक अनुमोदन अभिप्राप्त न कर लिया हो जहां यह ऐसी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव करता है ।

(3) कोई एक्सचेंज आवेदक द्वारा किए गए सूचीबद्धता आवेदन पर विचार नहीं करेगा, जब तक कि इसके साथ प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए सूचीबद्धता के पूर्व पत्र की प्रति न लगी हो ।

(4) बोर्ड, प्राधिकरण के परामर्श से, या तो साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा, किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के वर्ग के प्रति उप-विनियम (1), (2) और (3) के लागू होने से छूट दे सकेगा, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हो, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये ।

सूचीबद्धता के पूर्व पत्र के लिए आवेदन

10. (1) प्राधिकरण से सूचीबद्धता के पूर्व पत्र अभिप्राप्त करने की वांछा करने वाला आवेदक, प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में और ऐसी जानकारी या दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा, जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, समय-समय पर ।

(2) बोर्ड द्वारा जारी किन्हीं विनियमों या मार्गदर्शक सिद्धांतों में अंतर्विष्ट किसी बात

के होते हुए भी, प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता चाहने वाला आवेदक केवल प्राधिकरण के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज जिसमें कंपनियों और निगमित निकायों द्वारा सार्वजनिक और साधिकार निर्गमों के लिए सम्मिलित हैं दाखिल करेगा, या पारस्परिक निधियों की स्कीमों या सामूहिक विनिधान स्कीमों के प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज और बोर्ड प्राधिकरण को ऐसे प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेजों पर इसके संप्रेक्षण, यदि कोई हों, प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) सूचीबद्धता के पूर्व पत्र के लिए आवेदन एक्सचेंज या एक्सचेंजों को विनिर्दिष्ट करेगा जहां आवेदक इसकी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की वांछा करता है यह उपदर्शित करते हुए भी, जहां कहीं भी लागू हो, आबंटन के आधार को अंतिम रूप देने के प्रयोजनों के लिए और प्रतिभूति जमाराशि को जमा करने के लिए अभिहित स्टॉक एक्सचेंज ।

(4) सूचीबद्धता के पूर्व पत्र के लिए आवेदन के साथ ऐसी आवदेन फीस होगी जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, प्राधिकरण के परामर्श से, समय-समय पर ।

आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया

11. (1) विनियम 10 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकरण आवेदक को ऐसी अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या स्पष्टीकरण देने का निदेश दे सकेगा जैसा प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किया जाये, उक्त आवेदन की प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए और उस पर आवेदक प्राधिकरण द्वारा नियत समय के भीतर ऐसी समस्त जानकारी उपलब्ध करायेगा।

(2) उस दशा में जब आवेदक प्राधिकरण को कोई तात्विक जानकारी छिपाता है या तथ्यों का दुर्व्यपदेशन करता है या प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी या दस्तावेंज उपलब्ध नहीं कराता है या प्राधिकरण को कोई सुसंगत और तात्विक उद्घटनाओं की सूचना नहीं देता है जो दाखिल किये जाने के पश्चात् और आवेदन के लंबित रहने के दौरान होती हैं, प्राधिकरण सूचीबद्धता के पूर्व पत्र के लिए आवेदन को नामंजूर करने का हकदार होगा ।

(3) प्राधिकरण किसी व्यक्ति, एक्सचेंज या प्राधिकरण को आवेदन और आवेदक से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त जानकारी, दस्तावेजों या स्पष्टीकरणों की अंतर्वस्तु को प्रकट करने और उनकी टिप्पणियाँ और विचार आमंत्रित करने का हकदार होगा ।

(4) उप-विनियम (1) के अधीन जानकारी या स्पष्टीकरण देने की आवेदक की प्राथमिक बाध्यता के होते हुए भी, प्राधिकरण एक्सचेंजों से आवेदन पर उनके संप्रेक्षण या टिप्पणियाँ मंगा सकेगा और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत किन्हीं मध्यवर्तियों से, ऐसी और जानकारी मंगा सकेगा जो यह सूचीबद्धता के पूर्व पत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक समझे ।

(5) प्राधिकरण आवेदन और मंगायी गई जानकारी या स्पष्टीकरणों की परीक्षा करने के पश्चात्, या तो सूचीबद्धता के पूर्व पत्र प्रदान कर सकेगा या प्रदान करने से इंकार कर सकेगा, और यह आवेदन करने के या

आवेदक द्वारा जानकारी या स्पष्टीकरण देने, यथास्थिति, के तीस दिनों के भीतर किया जायेगा :

परंतु यह कि प्राधिकरण सूचीबद्धता के पूर्व पत्र प्रदान करने से इंकार नहीं करेगा, जब तक कि आवेदक को अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं दे दिया जाता ।

(6) प्राधिकरण, आवदेन की प्रक्रिया के समय, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा :

(क) प्रतिभूतियों के निर्गम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों की अनुपालना ;

(ख) प्रकटीकरण और विनिधानकर्ता संरक्षण से संबंधित बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों या विनियमों की अनुपालना ;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999, या बोर्ड द्वारा जारी अन्य सुसंगत विनियमों या मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना जहां भी लागू हो ;

(घ) अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उनके अधीन बनाये गये नियमों और एक्सचेंजों द्वारा उन विनिर्दिष्ट के अधीन, या अन्यथा की अनुपालना ; और,

(ङ) ऐसे अन्य कारक जो प्राधिकरण आवेदन की

प्रक्रिया के संबंध में सुसंगत माने, किंतु निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं :

(i) क्या आवेदक की प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता विनिधानकर्ताओं या प्रतिभूति बाजार के हितों के प्रति अहितकर हो सकेगी आवेदक की और इसके संप्रवर्तकों या समूह कंपनियों की और इसके निदेशकों या नियंत्रण में व्यक्तियों या आवेदक के साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों की कारबार पद्धतियों, पूर्ववृत्तों, विश्वसनीयता, वित्तीय नैतिकता, और बाजार ख्याति को देखते हुए ;

(ii) क्या आवेदक ने प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से या उनके आधार पर आवेदक द्वारा जुटायी गई निधियों के उपयोग के अनुश्रवण या नियंत्रण या पर्यवेक्षण के लिए कोई उपबंध किया है ; और,

(iii) क्या आवेदक ने प्रस्ताव दस्तावेज में सुरक्षा-नेट, यदि कोई हो, की उपलब्धता और तंत्र का प्रकटीकरण किया है ।

सूचीबद्धता के पूर्व पत्र के विषय में अन्य उपबंध

12. (1) प्राधिकरण, सूचीबद्धता के पूर्व पत्र प्रदान करते समय, ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो यह ठीक समझे जिनमें रीति, अपेक्षित प्रमुखता, प्रस्ताव दस्तावेजों और विज्ञापनों में किए जाने वाले प्रकटीकरणों की शब्द-रचना के विषय में शर्तें सम्मिलित हैं ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करने में आवेदक द्वारा असफलता, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में अन्यथा अधित्यक्त न हो,

सूचीबद्धता के पूर्व पत्र को अविधिमान्य बना देगी ।

(3) प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया कोई सूचीबद्धता के पूर्व पत्र एक्सचेंज(जों) के नाम विनिर्दिष्ट करेगी जहां आवेदक सूचीबद्धता आवेदन कर सकेगा ।

(4) जहां प्राधिकरण किन्हीं शर्तों सहित सूचीबद्धता के पूर्व पत्र जारी करता है, आवेदक ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा और प्राधिकरण को इनकी पुष्टि करेगा, ऐसे समय के भीतर जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(5) प्राधिकरण सूचीबद्धता के पूर्व पत्र को प्रदान करने के पश्चात् कोई नयी शर्तें अधिकथित करने का हकदार होगा जैसा बोर्ड द्वारा जारी नये मार्गदर्शक सिद्धांतों या निदेशों द्वारा या प्रतिभूति बाजार में कुछ सुसंगत उद्घटनाओं के कारण आवश्यक हो और आवेदक ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा और प्राधिकरण को इनकी पुष्टि करेगा, ऐसे समय के भीतर जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(6) प्राधिकरण विनियम 11 के उप-विनियम (5) के अधीन किया गया इसका विनिश्चय आवेदक को और सूचीबद्धता के पूर्व पत्र के लिए इसके आवेदन में आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट एक्सचेंज या एक्सचेंजों को संसूचित करेगा ।

(7) प्राधिकरण, सूचीबद्धता के पूर्व पत्र के जारी होने के पश्चात्, आवदेक, एक्सचेंजों या बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत अन्य मध्यवर्तियों

को इसे ऐसी जानकारी देने का निदेश दे सकेगा जैसा इसे यह अवधारित करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो कि क्या आवेदक लागू नियमों, विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्धता के पूर्व पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर रहा है ।

(8) इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए किसी सूचीबद्धता के पूर्व पत्र की, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, विधिमान्यता कालावधि 90 दिनों की होगी जिस समय तक सार्वजनिक निर्गमों और साधिकार निर्गमों के लिए अभिदान सूची खुल जानी चाहिये और अन्य प्रकार के निर्गम के मामले में, प्रतिभूतियों को एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिये :

परंतु यह कि प्राधिकरण इसके विवेकानुसार, इस निमित्त आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर, विधिमान्यता कालावधि के समाप्त होने से पूर्व, सूचीबद्धता के पूर्व पत्र की विधिमान्यता कालावधि को ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन बढ़ा सकेगा जैसा यह अधिरोपित करना ठीक समझे ।

(9) जहां आवेदक निर्गम के निबंधन और शर्तों में परिवर्तन करता है जिनकी बाबत सूचीबद्धता के पूर्व पत्र इसको प्रदान किया गया था या जहां कोई तात्विक उद्घटनाएँ होती हैं जो प्रतिभूतियों के निर्गम या सूचीबद्धता से संबंधित हों, प्राधिकरण सूचीबद्धता के पूर्व पत्र को वापस ले सकेगा :

परंतु प्राधिकरण इस खंड के अधीन

सूचीबद्धता के पूर्व पत्र को वापस लेने से पूर्व आवेदक को अभ्यावेदन करने का अवसर देगा ।

(10) प्राधिकरण सूचीबद्धता के पूर्व पत्र को वापस ले सकेगा जहां इसका समाधान हो जाता है, इसको उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कि-

(i) आवेदक ने या तो सूचीबद्धता के पूर्व पत्र के लिए इसके आवेदन में तात्विक तथ्यों को छिपाया था या तथ्यों का दुर्व्यपदेशन किया था ; या

(ii) आवेदक ने विनियम 11 के उप-विनियम (6) के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट विशेषकों को पूरा करना बंद कर दिया है ; या

(iii) सूचीबद्धता के पूर्व पत्र को वापस लेना विनिधानकर्ताओं और प्रतिभूति बाजार के बृहत्तर हितों में वांछनीय है :

परंतु यह कि प्राधिकरण, यदि यह सूचीबद्धता के पूर्व पत्र को वापस लेने का प्रस्ताव करता है, आवेदक को ऐसे प्रस्ताव के आधार संसूचित करेगा और उसे अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि सूचीबद्धता के पूर्व पत्र प्राधिकरण द्वारा वापस लिया जा सकेगा केवल यदि प्रतिभूतियाँ एक्सचेंजों में सूचीबद्ध न हों और यदि प्रतिभूतियाँ पहले ही सूचीबद्ध हो गयी हों, प्राधिकरण बोर्ड और एक्सचेंजों को ऐसी कार्रवाई करने के लिए सूचित करेगा, जिसमें प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता सम्मिलित है, जैसा वे ठीक समझे ।

अपील

13. सूचीबद्धता के पूर्व पत्र को प्रदान करने से इंकार करने वाला या को वापस लेने वाला प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अधिनियम की धारा 15न की उप-धारा (1) के खंड (क) के अर्थ के भीतर बोर्ड का आदेश समझा जायेगा और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपीलनीय होगा ।

सूचीबद्धता के लिए एक्सचेंजों को आवेदन

14. (1) प्राधिकरण से सूचीबद्धता के पूर्व पत्र की प्राप्ति पर, आवेदक एक्सचेंज(जों) को सूचीबद्धता आवेदन कर सकेगा जिसकी बाबत सूचीबद्धता के पूर्व पत्र प्रदान किया गया है, उसके साथ सूचीबद्धता के पूर्व पत्र की प्रति संलग्न करते हुए ।

(2) सूचीबद्धता आवेदन की प्राप्ति पर, एक्सचेंज प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के अधीन उपबंधित रीति में इस पर कार्यवाही करेगा(करेंगे) ।

(3) जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा अनुज्ञात न हो, आवेदक सुनिश्चित करेगा कि प्रतिभूतियाँ जिनके लिए इसने सूचीबद्धता के पूर्व पत्र अभिप्राप्त किया हो समस्त संबद्ध एक्सचेंजों में उसी दिन सूचीबद्ध हो जायें ।

एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्धता के इंकार के खिलाफ अपील

15. आवेदक प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 22क में यथा उपबंधित प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को सूचीबद्धता से इंकार करने वाले एक्सचेंज के विनिश्चय के खिलाफ अपील कर सकेगा।

प्राधिकरण की शक्तियाँ - इसकी प्रक्रियाओं और प्रचालन-संबंधी मार्गदर्शक सिद्धाँतों को विनियमित करने की

16. (1) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन और बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण के पास इसकी स्वयं की प्रक्रियाओं को उपवर्णित और विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन इसकी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, इसके कृत्यों के पालन के लिए प्रचालन-संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों की विरचना कर सकेगा ।

कंपनी या अन्य निगमित निकाय, पारस्परिक निधि या सामूहिक विनिधान स्कीम का - सूचीबद्धता शर्तों और सूचीबद्धता करार का अनुपालन करते रहना

17. (1) ये विनियम सूचीबद्धता करार और सूचीबद्धता शर्तों के अतिरिक्त, और के अल्पीकरण में नहीं, हैं ।

(2) एक्सचेंज जिसमें निगमित निकाय, पारस्परिक निधि या सामूहिक विनिधान स्कीम की कोई प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं सूचीबद्धता करार का अनुपालन करेगा ।

(3) यदि कंपनी या अन्य निगमित निकाय, पारस्परिक निधि या सामूहिक विनिधान स्कीम इन विनियमों, सूचीबद्धता शर्तों या सूचीबद्धता करार का अनुपालन करने में असफल रहती है या कोई जानकारी या दस्तावेजों को देने की उपेक्षा करती है, जो बोर्ड को, प्राधिकरण को या एक्सचेंज को इन विनियमों, सूचीबद्धता शर्तों या सूचीबद्धता करार के अनुसार दिए जाने अपेक्षित हैं, यह अधिनियम की धारा 15क या धारा 15जख में यथा विनिर्दिष्ट शास्ति का दायी होगी, अधिनियम के अध्याय VIक के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार अधिरोपित की जाने वाली ।

अध्याय IV

विविध

बोर्ड की शक्ति - प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की

18. (1) यदि किसी समय बोर्ड की राय है कि परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जो विनिधानकर्ताओं या प्रतिभूति बाजार के हितों में या ऐसा करना लोक हित में आवश्यक बना देती हैं, तो बोर्ड, आदेश द्वारा, ऐसी कालावधि के लिए प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाले आदेश के जारी होने पर:

(क) सभी सदस्य, अधिक्रमण की तारीख से ही, उनके पदों से रिक्त हुए समझे जायेंगे; और

(ख) समस्त कृत्यों और शक्तियों जिनका, इन विनियमों के उपबंधों द्वारा या के अधीन, प्राधिकरण द्वारा या की ओर से निर्वहन या प्रयोग किया जा सकेगा, जब तक प्राधिकरण उप-विनियम (3) के अधीन पुनर्गठित नहीं हो जाता, का निर्वहन और प्रयोग बोर्ड या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जैसा बोर्ड निदेश दे।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की कालावधि के समाप्त हो जाने पर, या पहले बोर्ड के विवेकानुसार, बोर्ड नयी नियुक्ति द्वारा प्राधिकरण को पुनर्गठित कर सकेगा और ऐसे मामले में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्होंने उप-विनियम (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त कर दिए, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जायेंगे ;

परंतु यह कि बोर्ड किसी समय, अधिक्रमण की

कालावधि के समाप्त होने से भी पहले, इस उप-विनियम के अधीन कार्रवाई कर सकेगा ।

रिपोर्ट करना और जानकारी का आदान-प्रदान

19. (1) प्राधिकरण बोर्ड को ऐसी विवरणियाँ और विवरण ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप और रीति में देगा जैसा बोर्ड अपेक्षित करे ।

(2) बोर्ड और प्राधिकरण के लिए उनके कृत्यों के निर्वहन के लिए किसी सुसंगत जानकारी का आदान-प्रदान करना सक्षम होगा ।

प्राधिकरण के अभिलेख

20. प्राधिकरण ऐसी बहियाँ, अभिलेख और दस्तावेज बनाये रखेगा और ऐसी कालावधि के लिए जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

निरसन और व्यावृत्तियाँ

21. (1) तारीख 13 फरवरी 2003 की का.आ. सं. 171(अ) द्वारा बोर्ड द्वारा अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण) विनियम, 2003 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी -

विनियमों के विनियम 3 के अधीन गठित एतद्द्वारा निरसित प्राधिकरण इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा; और,

की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की गई हुई तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसमें एतद्द्वारा निरसित विनियमों के अधीन जारी कोई सूचना सम्मिलित है, जहां तक यह इन विनियमों के उपबंधों से असंगत न हो, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई हुई समझी जायेगी ।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/24/03]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st August, 2003

Securities and Exchange Board of India (Central Listing Authority) Regulations, 2003

S.O. 954 (E).—(E) In exercise of the powers conferred by sections 11 and 11A read with sections 19 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short Title and Commencement

1 (1) These regulations shall be called Securities and Exchange Board of India (Central Listing Authority) Regulations, 2003.

(2) These regulations shall come into force on such date as may be specified by the Board:

Provided that different dates may be specified for different provisions of these regulations and in application to different kinds of securities or issues.

(3) These regulations shall apply to the issue of all classes of securities that are proposed to be listed.

Definitions

2 (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:

(a) 'Act' means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;

(b) 'applicant' means any company or other body corporate, mutual fund or collective investment scheme, acting by itself or through a merchant banker, who proposes to make an application to the Authority for a letter precedent to listing;

(c) 'Authority' means the Central Listing Authority established under regulation 3 of these regulations;

(d) 'Board' means the Securities and Exchange Board of India established

under section 3 of the Act;

(e)'Chief Executive Officer' means a person, including a Member, appointed as such by the Authority with the previous approval of the Board;

(g) 'exchange' means a stock exchange which has been granted recognition under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;

(h) 'letter precedent to listing' means a letter issued by the Authority under regulation 12, permitting the applicant to make a listing application to any exchange, including for re-listing and listing of an already listed security at an exchange other than the exchange where it is presently listed;

(i) 'listing agreement' means the agreement that is entered into between an exchange and an applicant under which the securities are listed and dealt with in the concerned exchange;

(j) 'listing application' means an application made by an applicant, under applicable laws, to an exchange for permission for its securities to be listed and dealt with in the exchange;

Explanation: An application to any exchange for obtaining any prior 'in-principle' approval or for obtaining the comments or observations of the exchange on such application shall not be deemed to be a listing application for the purposes of these regulations;

(k) 'listing conditions' means the conditions to be fulfilled by a company or other body corporate, mutual fund or collective investment scheme for the purpose of getting its securities listed on an exchange; and

(l) 'securities' shall have the meaning assigned to it under Section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

(2) (a) Words and expressions used and not defined in these regulations shall have the meanings, if any, respectively assigned to them under the Act.

(b) Words and expressions used and not defined either in these regulations

or the Act, shall have the meanings, if any, respectively assigned to them under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or any statutory modification or re-enactment thereof.

(c) Words and expressions used and not defined either in these regulations, or in the Act or in the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 shall have the meanings, if any, respectively assigned to them under the Companies Act, 1956, or any statutory modification or re-enactment thereof.

CHAPTER II
CENTRAL LISTING AUTHORITY

Establishment of the Central Listing Authority 3 (1) With effect from such date as may be specified by the Board in this regard, there shall be established for the purposes of these regulations, an authority to be called the "Central Listing Authority" and with effect from such date, the Board shall be deemed to have delegated its functions and powers, as are specified herein, to the Authority.

(2) The head office of the Authority shall be located in Mumbai:

Provided that the Authority may, with prior approval of the Board, establish such branch or regional offices as may be necessary.

Composition of the Authority 4 (1) The Authority shall, at any time, be composed of not more than eleven Members comprising of:

(a) a President;

(b) a Vice President; and,

(c) not more than nine other Members.

(2) The President, Vice President and the Members shall be appointed by the Board from amongst eminent persons of demonstrated integrity and outstanding technical and professional ability, and drawn from the judiciary, the legal profession, the academia, investor associations, exchanges, and experts in securities market or

finance;
Provided that at least three Members shall be representatives of exchanges.
(3) The Chief Executive Officer of the Authority shall be the ex-officio Member-Secretary of the Authority.
(4) The President, Vice President and each Member shall be appointed for a term of three years.
(5) A Member shall be eligible for re-appointment:
Provided that a Member shall not be eligible for re-appointment as a Member or as a President or as a Vice President, if he has already served for two terms.
(6) The remuneration and the terms and conditions of appointment of the Members, including the President, shall be such as may be specified by the Board:
Provided that the Members who are representatives of exchanges shall not draw any remuneration from the Authority.
(7) The President may, by notice in writing under his hand addressed to the Board, resign his office and the Vice President or a Member may, by notice in writing under his hand addressed to the President, resign his office.
(8) The Board may, for reasonable cause, remove the President, Vice President or a Member:
Provided that no Member, including the President, Vice President and the Chief Executive Officer, shall be removed from office unless the reasons for such removal are communicated to him and an opportunity of being heard by the Board has been provided:
Provided further that no Member removed under this sub-regulation, shall be entitled to receive any compensation for loss of office.

Secretariat

5 (1) The Authority may have a secretariat to assist it in the discharge of its functions.
(2) The Board may, if requested by the Authority, make available or cause

to be made available to the Authority the premises, infrastructure and amenities, commensurate with its functions and responsibilities.

(3) The Authority shall, in consultation with the Board, appoint a Chief Executive Officer of the Authority who shall perform such functions as may be specified by the Authority.

(4) The Authority may appoint such officers and staff, on such remuneration and terms, as it considers necessary for the efficient discharge of its functions under these regulations.

(5) Notwithstanding the above, the Authority may request the Board to depute, from time to time, adequate number of personnel to the secretariat.

(6) The Authority may engage, and pay for, external professional services to assist it in the efficient discharge of its functions under these regulations.

Meetings of the Authority **6** (1) The Authority may meet from time to time for the despatch of business, adjourn, re-schedule and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit.

(2) The President may, either on his own volition or upon request by a Member, summon a meeting of the Authority.

(3) The President, and in his absence the Vice President shall chair all meetings and in the absence of both of them in any meeting, the Members present shall appoint one of them to chair the meeting.

(4) The Chief Executive Officer being the ex officio Member-Secretary shall be responsible for all administrative functions in relation to the meetings.

(5) The meetings of the Authority shall be held at its office, provided that the Authority may meet at any other place and conduct a meeting without the Members being physically present in one location, through audio or video conferencing.

(6) The quorum for any meeting of the Authority shall be four Members: Provided however, that in a meeting

for considering an application for a letter precedent to listing, Members who are representatives of exchanges shall not be considered for the purpose of quorum.

(7) The continuing Members may act notwithstanding any vacancies in the Authority:

Provided that if the number of Members is reduced below the quorum fixed by these regulations for a meeting of the Authority, the continuing Members or Member may act and they shall constitute the quorum.

(8) Questions arising at any meeting of the Authority shall be decided by a majority vote of the Members present and voting in such meeting:

Provided that in case of an equality of votes, the President, or in his absence the person presiding, shall have a second or casting vote.

(9) Decisions of the Authority may also be taken by circulation, provided the resolution has been circulated in draft, together with the necessary papers, if any, to all the Members in advance.

(10) The Authority may delegate any of its functions and powers to any committee consisting of such Members as it may determine.

(11) Any committee so formed shall in the exercise of its powers or in the performance of its functions so delegated, conform to such procedures or conditions that may be specified by the Authority.

(12) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of the Members present and in case of an equality of votes, the matter shall be referred to the Authority for its consideration and decision thereon.

(13) No proceedings before, or order passed by the Authority, shall be questioned or shall be deemed to be invalid on the grounds merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Authority.

Fund

7 (1) The Board shall constitute a Fund to be called the Central Listing Authority General Fund and there shall be credited thereto:

(a) any application fees levied and received by the Board under sub-regulation (4) of regulation 10; and

(b) any other sum as may be decided upon by the Board.

(2) The above Fund shall be managed by the Authority and shall be applied for meeting:

(a) the remuneration, if any, of the President and other Members of the Authority;

(b) the expenses (whether capital or revenue in nature) of the Authority for the discharge of its functions and exercise of powers under these regulations including salary and allowances payable to the Chief Executive Officer, other officers and staff of the Authority; and,

(c) the professional fees of external professionals, agencies, consultants and/or advisers and/or advisory committees engaged by the Authority.

CHAPTER III
FUNCTIONS OF THE AUTHORITY AND LETTERS PRECEDENT TO LISTING

Functions of the Authority

8 (1) The Authority shall perform the following functions :

(a) to receive and process applications for letter precedent to listing from applicants and issue, if it deems fit, a letter precedent to listing to any such applicant;

(b) to make recommendations to the Board on issues pertaining to the protection of the interest of the Investors in securities and development and regulation of the securities market, including the listing agreements, listing conditions and disclosures to be made in offer documents; and,

(c) to undertake any other functions as may be delegated to it by the Board from time to time.

Letter Precedent to Listing	**9**	(1) No applicant, unless it has obtained a letter precedent to listing from the Authority, shall: (a) make an issue of securities which is proposed to be listed on an exchange, and/or (b) make a listing application for listing of its securities to any exchange. (2) No applicant shall make an issue of any class of securities unless it has obtained an in-principle approval from the exchange(s) where it proposes to list such securities. (3) No exchange shall consider a listing application made by an applicant, unless it is accompanied by a copy of the letter precedent to listing granted by the Authority. (4) The Board, in consultation with the Authority, may either by a general or a specific order, exempt the application of sub-regulations (1), (2) and (3) to any security or class of securities, for such period and subject to such conditions, if any, as may be specified in the order.
Application for the Letter Precedent to Listing	**10**	(1) An applicant desirous of obtaining a letter precedent to listing from the Authority shall make an application to the Authority in such form and in such manner and together with such information or documents, as may be specified by the Authority, from time to time. (2) Notwithstanding anything contained in any regulations or guidelines issued by the Board, an applicant seeking listing of securities shall file only with the Authority the draft offer documents including for public and rights issues by companies and bodies corporate, or draft offer documents of schemes of mutual funds or collective investment schemes and the Board may offer its observations, if any, to the Authority on such draft offer documents. (3) An application for letter precedent to listing shall specify the exchange or exchanges where the applicant is

desirous of listing its securities indicating also, wherever applicable, the designated stock exchange for the purposes of finalizing the basis of allotment and for depositing the security deposit.

(4) Any application for a letter precedent to listing shall be accompanied by such application fees as may be specified by the Board, in consultation with the Authority, from time to time.

Procedure on Receipt of Application 11 (1) Upon receipt of an application under regulation 10, the Authority may direct the applicant to furnish such additional information, documents or clarifications as may be required by the Authority, for the purpose of processing the said application and thereupon the applicant shall provide all such information within the time stipulated by the Authority.

(2) In the event the applicant supresses any material information or misrepresents facts to the Authority or does not provide the information or documents sought by the Authority or does not inform the Authority of any relevant and material developments that take place subsequent to the filing and during the pendency of the application, the Authority shall be entitled to reject the application for letter precedent to listing.

(3) The Authority shall be entitled to disclose to any person, exchange or authority the contents of the application and the information, documents or clarifications received by the Authority from the applicant and to invite their comments and views.

(4) Notwithstanding the primary obligation of the applicant to furnish information or clarifications under sub-regulation (1), the Authority may call from the exchanges their observations or comments on the application and call from any intermediaries registered with the Board, such further information as it may deem necessary in connection with the processing of

2362 GI/03

an application for a letter precedent to listing.

(5) The Authority after examining the application and the information or clarifications called for, may either grant or refuse to grant the letter precedent to listing, and this shall be done within thirty days of the making of the application or of furnishing of the information or clarification by the applicant, as the case may be:

Provided that the Authority shall not refuse to grant the letter precedent to listing unless the applicant is given an opportunity of making representation.

(6) The Authority shall, while processing the application, have regard to the following factors :

(a) compliance with the provisions of the Companies Act, 1956 pertaining to issue of securities;

(b) compliance with the Guidelines or Regulations of the Board relating to Disclosure and Investor Protection;

(c) compliance with the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 or the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999, or other relevant regulations or guidelines issued by the Board where applicable;

(d) compliance with the listing conditions specified under the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the rules made thereunder and those specified by exchanges, or otherwise; and,

(e) such other factors as the Authority may consider relevant in connection with processing the application, including, but not limited to, the following:

(i) whether listing of securities of the applicant may be detrimental to the interests of investors or the securities market in view of the business practices, antecedents, credibility, financial morality, and market reputation of the applicant and of its promoters or group companies and of its directors or persons in control or persons acting in concert with the

applicant;
(ii) whether the applicant has made any provision for monitoring or control or supervision of the use of funds raised by the applicant through the issue of securities or based thereon; and,
(iii) whether the applicant has made a disclosure in the offer document of the availability and mechanism of safety net, if any.

Other Provisions as to Letter Precedent to Listing 12 (1) The Authority may, while granting the letter precedent to listing, impose such conditions as it deems fit including conditions as to the manner, the required prominence and the wordings of the disclosures to be made in the offer documents and advertisements.
(2) Failure by the applicant to comply with the conditions imposed under sub-regulation (1) shall, unless otherwise waived by the Authority in writing, render the letter precedent to listing invalid.
(3) Any letter precedent to listing granted by the Authority shall specify the names of the exchange(s) where the applicant may make a listing application.
(4) Where the Authority issues a letter precedent to listing with any conditions, the applicant shall comply with such conditions and confirm the same to the Authority, within such time as may be specified by the Authority.
(5) The Authority shall be entitled to lay down any fresh conditions subsequent to the grant of a letter precedent to listing as may be necessitated by new guidelines or directions issued by the Board or due to some relevant developments in the securities market and the applicant shall comply with such conditions and confirm the same to the Authority, within such time as may be specified by the Authority.
(6) The Authority shall communicate its decision made under sub-

regulation (5) of regulation 11 to the applicant and to the exchange or exchanges specified by the applicant in its application for letter precedent to listing.

(7) The Authority may, subsequent to the issue of letter precedent to listing, direct the applicant, exchanges or other intermediaries registered with the Board to furnish it such information as may be necessary to enable it to determine whether the applicant is in compliance with conditions imposed by applicable rules, regulations and guidelines or by the Authority in the letter precedent to listing.

(8) Any letter precedent to listing granted by the Authority under these regulations shall, unless specified otherwise by the Authority, have a validity period of 90 days by which time the subscription list for public issues and rights issues should have opened and in the case of other kind of issue, the securities should have been listed on the Exchange:

Provided that the Authority at its discretion may, upon an application made by the applicant in this behalf, prior to the expiry of the validity period, extend the validity period of a letter precedent to listing subject to such conditions, if any, as it deems fit to impose.

(9) Where an applicant changes the terms and conditions of the issue in respect of which a letter precedent to listing was granted to it or where any material developments take place which have a bearing on the issue or listing of the securities, the Authority may withdraw the letter precedent to listing:

Provided the Authority shall prior to withdrawing a letter precedent to listing under this clause give an opportunity of making representation to the applicant.

(10) The Authority may withdraw the letter precedent to listing where it is satisfied, based upon information available to it, that -

(i) the applicant had either suppressed material facts or misrepresented facts in its application for letter precedent to listing; or
(ii) the applicant has ceased to fulfill the qualifications specified in clause (e) of sub-regulation(6) of regulation 11; or
(iii) withdrawal of a letter precedent to listing is desirable in the larger interests of investors and the securities market:
Provided that the Authority shall, if it proposes to withdraw a letter precedent to listing, communicate the grounds for such proposal to the applicant and afford him an opportunity of making representation:
Provided further that the letter precedent to listing may be withdrawn by the Authority only if the securities are not listed on the exchanges and if the securities have already been listed, the Authority shall inform the Board and the exchanges for taking such action, including delisting of securities, as they may deem fit.

Appeal

13 An order passed by the Authority declining to grant or withdrawing a letter precedent to listing shall be deemed to be an order of the Board within the meaning of clause (a) of sub-section (1) of Section 15T of the Act and shall be appealable to the Securities Appellate Tribunal in accordance with the provisions of the Act.

Application to Exchanges for Listing

14 (1) On receipt of the letter precedent to listing from the Authority, the applicant may make a listing application to the exchange(s) in respect of which the letter precedent to listing has been granted, enclosing therewith a copy of the letter precedent to listing.
(2) On receipt of the listing application, the exchange(s) shall proceed with the same in the manner provided for under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the rules and byelaws made

		thereunder. (3) Unless otherwise permitted by the Authority, the applicant shall ensure that the securities for which it has obtained a letter precedent to listing are listed on the same day at all the concerned exchanges.
Appeal against Refusal of Listing by Exchange	**15**	An applicant may prefer an appeal against the decision of an exchange refusing listing to the Securities Appellate Tribunal as provided in Section 22A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.
Powers of the Authority to Regulate its Procedures and Operational Guidelines	**16**	(1) Subject to the provisions of these regulations and with the previous approval of the Board, the Authority shall have power to set out and regulate its own procedures. (2) Without prejudice to the generality of its power under sub-regulation (1), the Authority may, with the previous approval of the Board, frame operational guidelines for the performance of its functions.
Company or Other Body Corporate, Mutual Fund or Collective Investment Scheme to Continue to Comply with Listing Conditions and Listing Agreement	**17**	(1) These regulations are in addition to, and not in derogation of, the listing agreement and the listing conditions. (2) An exchange in which any securities of a body corporate, mutual fund or collective investment scheme are listed shall comply with the listing agreement. (3) If a company or other body corporate, mutual fund or collective investment scheme fails to comply with these regulations, the listing conditions or the listing agreement or neglects to furnish any information or documents, which are required to be furnished to the Board, to the Authority or to an exchange as per these regulations, the listing conditions or the listing agreement, it shall be liable to penalty as specified in Section 15A or Section 15HB of the Act, to be imposed in accordance with the procedure prescribed under Chapter VI A of the Act.

CHAPTER IV
MISCELLANEOUS

Power of the Board to Supersede the Authority

18 (1) If at any time the Board is of the opinion that circumstances exist which render it necessary in the interests of investors or the securities market or in the public interest so to do, the Board may, by order, supersede the Authority for such period as may be specified in the order.

(2) Upon the issuance of an order under sub-regulation (1) superseding the Authority:

(a) all Members shall, as from the date of supersession, be deemed to have vacated their offices; and

(b) all functions and powers which may, by or under the provisions of these regulations, be exercised or discharged by or on behalf of the Authority, shall until the Authority is reconstituted under sub-regulation (3), be exercised and discharged by the Board or such persons or persons the Board may direct.

(3) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under sub-regulation (1), or earlier in the discretion of the Board, the Board may reconstitute the Authority by fresh appointment and in such case any person or persons who vacated their offices under clause (a) of sub-regulation (2), shall not be deemed disqualified for appointment;

Provided that the Board may at any time, even before the expiration of the period of supersession, take action under this sub-regulation.

Reporting and Exchange of Information

19 (1) The Authority shall furnish to the Board such returns and statements at such time and in such form and manner as the Board may require.

(2) It shall be competent for the Board and the Authority to exchange any information relevant for the discharge of their functions.

Records of the Authority

20 The Authority shall maintain such books, records and documents and for such period as may be specified by the Board.

Repeal and Savings

21 (1) The Securities and Exchange Board of India (Central Listing Authority) Regulations, 2003 notified by the Board vide S.O. No. 171(E) dated 13th February, 2003 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal –

the Authority constituted under regulation 3 of the regulations hereby repealed shall be deemed to be appointed under the corresponding provisions of these regulations; and,

anything done or any action taken or purported to have been done or taken, including any notice issued under the regulations hereby repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these regulations, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

[F. No. SEBI/LE/24/03]

G. N. BAJPAI, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.